मुण्डावर

20/9/24 : पत्रावलि प्रस्तुत हुई। पत्रावलि में नियत पेशी पर प्रा.प. आदेश 07 सपठित धारा 135 रा.भू. नियम 11 सि.प्र.सं. पर बहस सुनी गई थी।

प्रार्थी की ओर से प्रा.पत्र इस प्रकार का प्रस्तुत किया गया है कि वाद में विवादित आराजी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में कदीमी खातेदारी दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर

तारीख हुकम	हजारी बनाम
	आराजी के संबंधित वादी ने उक्त विवादित आराजी के बाबत कब्जा मुखालफाना खातेदारी की घोषणा के बाबत पेश किया के आधार पर अनुतोष चाहते हुए पेश किया है एवं इसी आराजी पर एक सिविल वाद इकरारनामा के आधार पर वादी द्वारा पेश किया गया था आराजी मुतनाजा के बाबत वादी सिविल अदालत में इकरारनामा के आधार पर अनुतोष क्लेम किया है तो वर्तमान दावा कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है. इकरारनामा व कब्जा मुखालफाना दोनों विरोधी रिलिफ है जो काबिले स्वीकार नहीं है। एक साथ दो समान्तर भिन्न अदालत में अधिकार की घोषणा के वाद नहीं चलाये जा सकते। वादी ने केवल प्रतिवादी को तंग परेशान करने प्रतिवादी को मुकदमे में फंसाने व मुकदमों का दबाव बनाने के लिए वाद पेश किया है जो काबिले खारिज है. खारिज फरमाया जावे। जवाब प्रार्थना पत्र वादीगण (अप्रार्थी) द्वारा इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आराजी मय वादीगण की कब्जा काश्त की आराजी है जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं है। प्रति० जो कि प्रत्यर्थी प्रति० २ के वारीसान है जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है यह है कि उक्त आराजी बाबत एक वाद सिविल न्याया० में दायर किया हुआ है जो निर्णित हो चुका है

जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय राज० पीठ जयपुर में लम्बित है तथा प्रा० प० आदेश 7 नियम 11 जा०दी० की जद में नही आता है इसलिए मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

प्रा० प० पर विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौरान बहस प्रा०प० के कथनों का दोहराव किया मुख्यत: इस तथ्य पर जोर दिया कि कब्जा मुखालफाना के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं होने एवं इस प्रकार का वाद इस न्यायालय द्वारा श्रवणीय नहीं है, काबिल खारिज है। न्यायिक दृष्टांत RRD 14.5.2017 Page 297, RRD 14.5.2017 RRD 1989 Page 800; RRD 1989 P. 750; RRD 1989 P-752 भी प्रस्तुत किये।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रा. पत्र के कथनों का दोहराव किया तथा मुख्यत: कथन किया कि प्रार्थी बिना Co-party बुलवाये प्रा०प० प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तथा आदेश 07 नियम 11 के 6 बिन्दुओं के परिधि में प्रा०प० न होने से प्रा०प० खारिज योग्य है।

पत्रावलि का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। इसके उपरान्त यह न्यायालय यह पाता है कि वादी द्वारा वाद मूलत: कब्जा मुखालफाना (Adverse Possession) के आधार खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत प्रस्तुत किया गया है। पत्रावलि से यह भी तथ्य आया है कि आराजी मुतनाजा के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डवा (...नागौर)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	न्यायालय ... हजारी बनाम सरकार
	संबंध में इकरारनामा बाबत भी वाद सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहे हैं तथा स्वीकार किया है कि प्रार्थी (वादी) ने भी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के समक्ष लम्बित है। अपील वादी ने इस प्रकार का कोई राजस्व रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें उसके नाम कभी यह खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड रही हो अथवा इस दस्तावेज के आधार पर खातेदारी घोषणा पर विचार किया जा सके। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से भी यह जाहिर होता है कि इस प्रकार कब्जा इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत वाद निरस्तनीय है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी दीवानी हुकूमत के संबंधित वाद बाबत अपील लम्बित होना विदित हुआ है। अतः यह न्यायालय उचित पाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 के परिधि में पाया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार के वाद से अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है, विधि विरुद्ध है। अतः प्रार्थी का प्रा०प० अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप वाद को शुरू स्तर पर खारिज में निर्णित किया जाता है यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 20/1/2024 को खुले न्यायालय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - मुण्डावर हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज़ हजारी बनाम धर्मवीर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो नम्बर कम हो। (हस्ताक्षर) (पी शालेन्द्र अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी - मुण्डावर उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर)	